

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	14659.79	21.51	14681.30	4036.06	47.57	4083.63	4113.42	47.58	4161.00	4379.90	29.10	4409.00
<i>वसूलियां</i>	-14.23	...	-14.23	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	-11116.76	...	-11116.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>3528.80</b>	<b>21.51</b>	<b>3550.31</b>	<b>4036.06</b>	<b>47.57</b>	<b>4083.63</b>	<b>4113.42</b>	<b>47.58</b>	<b>4161.00</b>	<b>4379.90</b>	<b>29.10</b>	<b>4409.00</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. केन्द्र की स्थापना व्यय												
1.01 सचिवालय	90.51	...	90.51	70.32	...	70.32	73.52	...	73.52	79.52	...	79.52
1.02 चलचित्र फिल्मों का प्रमाणन	7.27	...	7.27	9.32	...	9.32	9.08	...	9.08	10.23	...	10.23
1.03 सूचना एवं प्रचार	375.14	...	375.14	425.15	...	425.15	385.29	...	385.29	405.99	...	405.99
	-1.87	...	-1.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>373.27</i>	<i>...</i>	<i>373.27</i>	<i>425.15</i>	<i>...</i>	<i>425.15</i>	<i>385.29</i>	<i>...</i>	<i>385.29</i>	<i>405.99</i>	<i>...</i>	<i>405.99</i>
<i>निवल</i>	<i>471.05</i>	<i>...</i>	<i>471.05</i>	<i>504.79</i>	<i>...</i>	<i>504.79</i>	<i>467.89</i>	<i>...</i>	<i>467.89</i>	<i>495.74</i>	<i>...</i>	<i>495.74</i>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं</b>												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसार भारती	427.52	...	427.52	390.00	...	390.00	390.00	...	390.00	350.00	...	350.00
	-12.36	...	-12.36	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	<i>415.16</i>	<i>...</i>	<i>415.16</i>	<i>390.00</i>	<i>...</i>	<i>390.00</i>	<i>390.00</i>	<i>...</i>	<i>390.00</i>	<i>350.00</i>	<i>...</i>	<i>350.00</i>
2.02 किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	26.25	...	26.25	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	80.00	...	80.00
<i>जोड़- प्रसार भारती</i>	<i>441.41</i>	<i>...</i>	<i>441.41</i>	<i>450.00</i>	<i>...</i>	<i>450.00</i>	<i>450.00</i>	<i>...</i>	<i>450.00</i>	<i>430.00</i>	<i>...</i>	<i>430.00</i>
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	158.31	...	158.31	144.60	...	144.60	220.10	...	220.10	140.20	...	140.20
3.02 मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	14.02	...	14.02	14.62	...	14.62	15.87	...	15.87	16.00	...	16.00
3.03 मानव संसाधन विकास	...	...	...	4.80	...	4.80	5.56	...	5.56	5.80	...	5.80
<i>जोड़- सूचना</i>	<i>172.33</i>	<i>...</i>	<i>172.33</i>	<i>164.02</i>	<i>...</i>	<i>164.02</i>	<i>241.53</i>	<i>...</i>	<i>241.53</i>	<i>162.00</i>	<i>...</i>	<i>162.00</i>

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
4. फिल्म												
4.01 विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	2.33	...	2.33	39.00	...	39.00	46.80	...	46.80	39.89	...	39.89
4.02 फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	26.50	10.74	37.24	27.00	11.68	38.68	27.00	9.19	36.19	40.00	9.10	49.10
4.03 भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय	...	0.08	0.08	...	28.69	28.69	...	34.39	34.39	...	8.00	8.00
4.04 मिशन/विशेष परियोजना	...	...	...	29.91	5.20	35.11	15.01	2.00	17.01	100.01	10.00	110.01
जोड़- फिल्म	28.83	10.82	39.65	95.91	45.57	141.48	88.81	45.58	134.39	179.90	27.10	207.00
5. जनसंचार												
5.01 अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	1.44	...	1.44	6.00	...	6.00	1.85	...	1.85	4.00	...	4.00
5.02 आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	7.56	...	7.56	13.00	...	13.00	13.00	...	13.00	14.00	...	14.00
जोड़- जनसंचार	9.00	...	9.00	19.00	...	19.00	14.85	...	14.85	18.00	...	18.00
6. प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढीकरण												
6.01 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	9.07	10.69	19.76	10.00	2.00	12.00	9.60	2.00	11.60	10.00	2.00	12.00
6.02 भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	...	...	...	4.00	...	4.00	3.63	...	3.63	4.00	...	4.00
6.03 मिशन डिजिटलीकरण	...	...	...	5.00	...	5.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
6.04 प्रसारण विंग का स्वचालन	...	...	...	4.50	...	4.50	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
जोड़- प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढीकरण	9.07	10.69	19.76	23.50	2.00	25.50	17.23	2.00	19.23	21.00	2.00	23.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>660.64</b>	<b>21.51</b>	<b>682.15</b>	<b>752.43</b>	<b>47.57</b>	<b>800.00</b>	<b>812.42</b>	<b>47.58</b>	<b>860.00</b>	<b>810.90</b>	<b>29.10</b>	<b>840.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. स्वायत्तशासी निकायों को सहायता												
7.01 प्रसार भारती	13458.88	...	13458.88	2716.86	...	2716.86	2766.86	...	2766.86	2996.70	...	2996.70
	-11116.76	...	-11116.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	2342.12	...	2342.12	2716.86	...	2716.86	2766.86	...	2766.86	2996.70	...	2996.70
7.02 भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	21.58	...	21.58	24.66	...	24.66	23.54	...	23.54	29.22	...	29.22
7.03 एसआरएफटीआई कोलकाता	12.14	...	12.14	13.47	...	13.47	13.37	...	13.37	14.37	...	14.37
7.04 बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	2.98	...	2.98	3.10	...	3.10	3.10	...	3.10	3.20	...	3.20
7.05 भारतीय जनसंचार संस्थान	11.82	...	11.82	13.37	...	13.37	18.83	...	18.83	21.23	...	21.23
7.06 भारतीय प्रेस परिषद	6.47	...	6.47	7.38	...	7.38	7.41	...	7.41	8.54	...	8.54
जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	2397.11	...	2397.11	2778.84	...	2778.84	2833.11	...	2833.11	3073.26	...	3073.26
<b>कुल जोड़</b>	<b>3528.80</b>	<b>21.51</b>	<b>3550.31</b>	<b>4036.06</b>	<b>47.57</b>	<b>4083.63</b>	<b>4113.42</b>	<b>47.58</b>	<b>4161.00</b>	<b>4379.90</b>	<b>29.10</b>	<b>4409.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष सामाजिक सेवाएं</b>												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. कला और संस्कृति	7.27	...	7.27	9.32	...	9.32	9.08	...	9.08	10.23	...	10.23
2. सूचना और प्रचार	649.13	...	649.13	767.56	...	767.56	785.96	...	785.96	831.25	...	831.25
3. प्रसारण	2783.53	...	2783.53	3108.86	...	3108.86	3158.86	...	3158.86	3374.70	...	3374.70
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	88.87	...	88.87	70.32	...	70.32	73.52	...	73.52	79.52	...	79.52
5. सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	...	21.51	21.51	...	47.57	47.57	...	47.58	47.58	...	29.10	29.10
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>3528.80</b>	<b>21.51</b>	<b>3550.31</b>	<b>3956.06</b>	<b>47.57</b>	<b>4003.63</b>	<b>4027.42</b>	<b>47.58</b>	<b>4075.00</b>	<b>4295.70</b>	<b>29.10</b>	<b>4324.80</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	80.00	...	80.00	86.00	...	86.00	84.20	...	84.20
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>80.00</b>	<b>...</b>	<b>80.00</b>	<b>86.00</b>	<b>...</b>	<b>86.00</b>	<b>84.20</b>	<b>...</b>	<b>84.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>3528.80</b>	<b>21.51</b>	<b>3550.31</b>	<b>4036.06</b>	<b>47.57</b>	<b>4083.63</b>	<b>4113.42</b>	<b>47.58</b>	<b>4161.00</b>	<b>4379.90</b>	<b>29.10</b>	<b>4409.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>																		
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>																		
1. नेशनल फिल्म डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	...	...	...	...	...	...	...	12.54	12.54	...	12.54	12.54	...	12.54	12.54			
2. प्रसार भारती	...	...	...	...	200.00	200.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...			
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>			
<b>जोड़</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>	<b>...</b>	<b>12.54</b>	<b>12.54</b>			

1.01. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय तथा प्रधान लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय को कवर किया जाता है।

1.02. **चलचित्र फिल्मों का प्रमाणन:** इसके अंतर्गत (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है।

1.03. **सूचना एवं प्रचार:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित माध्यम एककों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है-

(i) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय जो विज्ञापनों तथा अन्य मुद्रित सामग्रियों तथा रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य बाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार संबंधी अभियानों की योजना बनाता है तथा उन्हें कार्यान्वित करता है।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(iii) क्षेत्रीय प्रचार फिल्म शो, लाइफ मीडिया कार्यक्रमों, फोटो डिस्प्ले तथा सेमिनारों के जरिए अंतर्वैयक्तिक, विकासपरक संचार में संलग्न है।

(iv) गीत और नाटक प्रभाग जन समुदायों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदायों के लिए देश भर में फैले एककों के जरिए राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए लाइव मनोरंजन मीडिया का उपयोग करता है।

(v) प्रकाशन विभाग: यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है। यह विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लाइमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है।

(vi) न्यू मीडिया विंग: इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान गवेषणा तथा संदर्भ प्रभाग के लिए है जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्नामित किया गया है जो मंत्रालय तथा उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(vii) फोटो प्रभाग को भारत के प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्रपति के दैनिक कार्यकलापों की आधिकारिक फोटो कवरेज करने का कार्य सौंपा गया है। यह प्रभाग भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार के लिए दृष्टिगत दस्तावेजीकरण तथा फोटोग्राफ तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(viii) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) समाचारपत्रों/आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

(ix) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए योगदान तथा एशियाई प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्काइव संगठनों की सदस्यता के लिए अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए योगदान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(x) इसमें (क) फिल्म प्रभाग (जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के लिए न्यूज़ रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है); (ख) फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) जिसे सुरुचिपूर्ण सिनेमा का संवर्धन करने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है; (ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है, की स्थापना से जुड़ा व्यय शामिल किया गया है।

(xi) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र: इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है।

2.01. **प्रसार भारती:** प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के संसाधनों के अंतराल को कवर करने हेतु सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है।

2.02. **किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान:** इसमें किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान का प्रावधान भी शामिल है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** समावेशी कार्यक्रम विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार में निम्नलिखित स्कीमों को शामिल किया गया है-

विकासपरक संचार के जरिए जन सशक्तिकरण (डीएवीपी) – सरकार की नीतियों तथा कार्यों के बारे में जन समुदाय को शिक्षित करने हेतु।

मीडिया संपर्क कार्यक्रम तथा विशेष आयोजनों के लिए प्रचार-प्रसार (पीआईबी) – जन सूचना अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रम के संबंध में जागरूकता में वृद्धि करना।

प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम (डीएफपी) – क्षेत्रीय प्रचार के जरिए भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीमों पर विशेष संपर्क कार्यक्रम।

लाइव, कला और संस्कृति (गीत और नाटक प्रभाग) -इस योजना के दायरे से दुर्गम पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तान सहित जमीनी स्तर, पर संवाद करने के लिए अपने प्रयासों में अधिक से अधिक पहुंच, पहुंच और प्रभाव दे रहा है, वामपंथी उग्रवाद जिलों / क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (मुख्य सचिवालय) – भारत सरकार की ओर से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सूचना के प्रचार-प्रसार तथा अवबोधन प्रबंधन हेतु।

3.02. **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** 3.02 समावेशी कार्यक्रम मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम में

(क) डीएवीपी का सुधार और पुनर्गठन , (ख) पत्र सूचना कार्यालय का आधुनिकीकरण, (ग) प्रकाशन विभाग और रोजगार समाचार का पुनरोद्धार, उन्नयन और आधुनिकीकरण, (घ) राष्ट्रीय फोटोग्राफी केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान और (ङ) आरएनआई मुख्यालय का सुदृढीकरण जैसी स्कीमों शामिल हैं।

3.03. **मानव संसाधन विकास:** समावेशी कार्यक्रम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) में

(क) प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण, (ख) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम, (ग) नीति संबंधी सम्मेलन आद, (घ) फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन विकास और (ङ.) व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान स्कीमों शामिल हैं।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** समावेशी कार्यक्रम विकास संचार एवं फिल्म संबंधी विषय-वस्तु का प्रसार में निम्नलिखित स्कीमों शामिल हैं-

(क) फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय) - फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार में भागीदारी के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना।

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण- विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों की फिल्मों, और वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण

(ग) फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)- वृत्तचित्र, एनीमेशन और लघु फिल्मों का वितरण।

(क) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)- राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का परिरक्षण व अधिग्रहण और विश्व सिनेमा के प्रतिनिधि संग्रह का सृजन।

4.02. **फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम समावेशी कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:- सीवीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण व विस्तार और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स, फिल्म प्रभाग, जयकर बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना (एनएफएआई), एफटीआईआई के उन्नयन, एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास।

4.03. **भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय:** देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (फिल्म प्रभाग)

4.04. **मिशन/विशेष परियोजना:** समावेशी कार्यक्रम "मिशन/विशेष परियोजना" में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं: - राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय), एंटी-पायरेसी पहलें- पायरेसी के खिलाफ सभी हितधारकों में जागरूकता पैदा करने और एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

5. **जनसंचार:** अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन- जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान शुरू करने के लिए जनसंचार।

आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना- जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान शुरू करने के लिए जनसंचार।

6.01. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र:** इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र: यह प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनल/रेडियो की मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र पर उसके आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रमों के लिए पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

6.02. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता- सामुदायिक रेडियो आंदोलन, जो विशेष रूप से उन समुदायों के लिए है जिनमें अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं होते, को सहायता प्रदान करने के लिए।

6.03. **मिशन डिजिटलीकरण:** यह ऐसा तंत्र है जो सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाने की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करेगा।

6.04. **प्रसारण विंग का स्वचालन:** नए टीवी चैनलों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने के लिए।

7. **स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:** 7.01 से 7.06:- यह प्रावधान संबंधित स्वायत्त निकायों की स्थापना और अन्य व्यय के लिए है।